

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 279]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 जुलाई 2015—आषाढ़ 24, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2015

क्र. एफ ए-3-26-2013-एक-(1)-1050.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.ए. 3-26-2013-एक(1)-1601, दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 में अंशतः संशोधन करते हुये और मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम के नियम 4 के अनुसरण में, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित राज्यमंत्री के प्रभार में उनके नाम के सामने दिये गये विभाग और / या विभाग की कार्य सूची के विषय सौंपते हैं :—

स.क्र. (1)	राज्यमंत्री का नाम (2)	सौंपे गये विभाग और / या विभाग की कार्य-सूची के विषय (3)
1.	श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री	सामान्य प्रशासन, नर्मदा घाटी विकास, विमानन तथा नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का अतिरिक्त प्रभार.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2015

क्र. एफ ए-3-26-2013-एक-(1)-1051.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-26-2013-एक(1)-1050, दिनांक 15 जुलाई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

Bhopal, the 15th July 2015

No. F-A-3-26-2013-One(1)-1050.—In partial modification of the department's Notification No. F.A. 3-26-2013-One(1) 1601, dated 23rd December, 2013 and in pursuance of rule 4 of the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, the Governor of Madhya Pradesh has been pleased to assign to the charge of the following Minister of State, the Department(s) and / or the item(s) of business in the department(s) shown against his name:—

S. No. (1)	Name of the Minister of State (2)	Depaartment(s) and / or item(s) of business in the department assigned (3)
1.	Shri Lal Singh Arya, Minister of State	General Administration, Narmada Valley Development, Aviation and Additional Charge of Urban Development and Environment.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANTHONY DE SA, Chief Secy.